



इंडियनऑयल

CIN : L23201MH1959GOI011388



विपणन प्रभाग

एनडीएनई की नियुक्ति

मध्य प्रदेश राज्य कार्यालय

(गैर-घरेलू गैर-छूट प्राप्त) एलपीजी खुदरा विक्रेता

इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) छत्तीसगढ़ में निम्न निर्दिष्ट स्थानों पर वाणिज्यिक और औद्योगिक उपयोगकर्ताओं को पैकड एलपीजी के विपणन के लिए विशेष एनडीएनई एलपीजी खुदरा विक्रेता की नियुक्ति का प्रस्ताव करता है:

अनु.सं.	स्थान	ज़िला	श्रेणी	संचालन का क्षेत्र	शोरूम का स्थान	बाजार का प्रकार
1.	रायपुर	रायपुर	खुला	संपूर्ण रायपुर जिला	रायपुर नगर निगम सीमा	शहरी/ग्रामीण
2.	जगदलपुर	बस्तर	खुला	संपूर्ण बस्तर जिला	जगदलपुर नगर निगम सीमा	शहरी/ग्रामीण

पात्रता एवं चयन का विवरण:- चयन के लिए पात्रता/मूल्यांकन मानदंड और आवेदन प्रारूप के साथ विस्तृत दिशानिर्देश आईओसीएल की वेबसाइट www.iocl.com पर उपलब्ध है और इन्हें डाउनलोड किया जा सकता है या नीचे दिए गए पते से उपरोक्त सभी स्थानों के लिए व्यक्तिगत रूप से भी प्राप्त किया जा सकता है:

उपरोक्त स्थान के लिए, मंडलीय एलपीजी बिक्री प्रमुख, रायपुर इंडेन मंडलीय कार्यालय, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (एम.डी.), वीआईपी रोड, तेलीबांधा, पोस्ट ऑफिस रविग्राम, रायपुर - 492006 (सी.जी.), फोन 0771-4313026, संपर्क व्यक्ति होंगे।

आवेदन पत्र के साथ रु. 5000/- (पाँच हजार रुपये मात्र) का गैर-वापसीयोग्य आवेदन शुल्क इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमडी) के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा किया जाना चाहिए, जो उपरोक्त सभी स्थानों के लिए रायपुर में देय होगा। सभी प्रकार से पूर्णतया भरा हुआ आवेदन पत्र **09.07.2025 को 17.00 बजे या उससे पहले** हमारे ऊपर्युक्त पते पर पहुँच जाना चाहिए।

सामान्य शर्तें:-

- इस प्रकार चयनित गैर-घरेलू एलपीजी खुदरा विक्रेता केवल गैर-घरेलू पैकड एलपीजी सिलेंडरों के विपणन के लिए ही होगा तथा उसे घरेलू एलपीजी ग्राहकों को नामांकित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- नियुक्ति पत्र (एलओए) जारी किए जाने से पहले चयनित उम्मीदवार को इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड के पास रु. 5 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) की ब्याज मुक्त वापसी योग्य सुरक्षा जमा राशि जमा करनी होगी।**
- यह एक व्यावसायिक प्रस्ताव है और इसमें किसी प्रकार की नौकरी या लाभ की सुनिश्चित वापसी की गारंटी नहीं दी जाती है।
- आईओसी बिना कोई कारण बताए अपने विवेक से इस विज्ञापन को रद्द करने/वापस लेने या नियत तिथि को आगे बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।